

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर**

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 07/10/2017

क्रमांक एफ 8-117/पंग्राविवि./22/2009 :: राज्य शासन एतद् द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संयुक्त सचिव चंद्रकांत उइके(भा.प्र.से.) के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01.09.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अधिनियम संख्यांक 22 के प्रावधानों के तहत धारा 5 की उपधारा (2) तथा धारा 19 के अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के लिये निम्नानुसार अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

क्र.	अधिकारी का नाम/पदनाम	नामांकित श्रेणी	दूरभाष एवं कक्ष क्रमांक
1.	श्री एस.एल.नायक, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	प्रथम अपीलीय अधिकारी	0771-2510843 कक्ष क्र.ADO-26, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।

(अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा अनुमोदित)



(ए.के.शर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक एफ 8-117/पंग्राविवि./22/2009

रायपुर, दिनांक 07/10/2017

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नया रायपुर(छ.ग.)
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, /सचिव/विशेष सचिव, छ.ग. शासन, समस्त विभाग मंत्रालय, नया रायपुर(छ.ग.)
3. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, प्रथम तल, शास्त्री चौक रायपुर(छ.ग.)
4. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, नया रायपुर(छ.ग.)
5. समस्त विभागाध्यक्ष.....  
कार्यालय(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग).....(छ.ग.)रायपुर
6. अवर सचिव, छ.ग. शासन, (रजिस्ट्रार) साप्रवि. मंत्रालय रायपुर(छ.ग.)
7. संबंधित अधिकारी श्री .....  
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

क्रमशः-2-

//2//

8. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. राज्य सूचना केन्द्र कक्ष कं. AD 2,14,15,16 मंत्रालय नया रायपुर की ओर विभाग की वेबसाईट [WWW.chhattisgarh.nic.in](http://WWW.chhattisgarh.nic.in) में प्रविष्टि किये जाने की कार्यवाही हेतु।
10. आर्डर बुक,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

प्रंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग